

लाइ 4/3 ईस्वरलाल

7/1/13 पृ-पत्र

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
26/1/13

उभय पक्ष उपस्थित की तामील अधिकारी राजकीय
कार्य से बहस के अवकाश पर है / बदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 26/1/13 को पेश हो। भा.क. 1/1/13 पृ. 1/1/13 जि.सी. 211-40
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों ने
प्रार्थना पत्र 07 RII व धारा 151 जा.दी.0 पर बहस
कास्ती चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील
प्राथोगण ने बहस के दौरान बताया कि विवादित
आराजियात से आने वाले हेतु प्राथोगण के विपक्षीगण
द्वारा बंद किये गये रास्ते का खुलासा किया जाकर
उक्त रास्ते को बिकार्ड में अंकन किये जाने की ईस्त
हुआ की। जब कि विपक्षी अधिवक्ता ने बहस के
दौरान बताया कि उक्त रास्ते को, 2,3 वर्षों से बंद
करना भी स्वीकार किया है। प्राथोगणों ने। विपक्षी
अधिवक्ता ने बताया कि प्राथोगण की आराजी में
आने वाले का रास्ता न तो कर्मा पूर्व में विपक्षी जवाबदा
की आराजी में स्थित था एवं न ही वर्तमान में है। एवं
उक्त प्रकरण रास्ते को खुलासा करने का रास्ता
विद्यमान होने व कब्जा लेनी से यह प्रकरण धारा
251 रा.सी.एक्ट का क्षेत्राधिकार तहसीलदार मोडल का है
अतः प्रार्थना पत्र श्वारिज फरमाया जावे।

∴ आदेश ∴

प्राथोगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251-न रा.का. अधिनियम का प्रार्थना पत्र
07 RII व धारा 151-दी.0 के अन्तर्गत श्वारीज



1970-71
1970-71

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>शास्ते में दर्ज नियमानुसार किया जाये और राजस्व रेकार्ड में एक भाट में दर्ज करे। इस सम्बन्ध में न्यायालय में शपथ पत्र पेश करे कि सभी शास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। पत्रावली कैसत शुमार लेकर नम्बर सै कम हो।</p> <p style="text-align: right;">१२/११/१९ उपखण्ड अधिकारी मंडल जिला पीलवाड़ा</p>	